कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : मान्यता / 1264 / नवीनीकरण / 2024–25 / दिनांक 24 मार्च, 2025

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(बे0) / 15–क / 233 / नवीनीकरण / 2024–25 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा द दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल, शीशमबाड़ा, रामगढ़, देहरादून (मान्यता कोड 10) को कक्षा–01 से कक्षा–08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 02.01.2022 से दिनांक 01.01.2025 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या में मान्यता नवीनीकरण की संस्तुति के आधार पर उक्त विद्यालय को प्री–प्राईमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) (ऑनलाईन आवेदन कमांक 111252) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.01.2025 से आगामी 05 वर्षो के लिये मान्यता नवीनीकृत किया जाता है और 05 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(विनोद कुमार ढौडियाल)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 मान्यता / 26191–95 / नवीनीकरण / 2024–25 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश : मान्यता(बे0) / 233 / नवीनीकरण / 2024—25 / दिनांक : 03 जुलाई, 2024

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या शिविर(बे0) / 161 / नवीनीकरण / 2019—20 दिनांक 04.06.2022 के द्वारा द दून युधिष्ठिरा पब्लिक स्कूल, शीशमबाड़ा, रामगढ, देहरादून को कक्षा—1 से कक्षा—08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 02.01.2019 से 01.01.2022 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त विद्यालय को प्री—प्राईमरी से कक्षा 08 तक दिनांक 02.01.2022 से आगामी 03 वर्षो के लिये औपबन्धिक रूप से नवीनीकृत किया जाता है और 03 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(प्रदीप कुमार)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0) / 4468—75 / नवीनीकरण / 2024—25 तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय—समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

Principal
The Doon Yudhishtera Public School
Dehradun, Uttarakhand

RTE

School Details Change Format

Form A01

State : UTTARAKHAND	Date of request generate : 01 | Aug | 2024
UDISE+ District : DEHRADUN	File /Record No:
UDISE+ Block : SAHASPUR	(For District/Block Office Use)

UDISE CODE : 0 5 0 5 0 4 2 1 9 0 6

School Name : THE DOON YUDHISHTERA PUBLIC SCHOOL

✓ Check the parameters from below grid which needs to be updated

Update Request By : ☐ **State Level** ☐ **District Level** ☑ **Block Level**

		OLD	NEW	Reason
☑	School Name *(New)*	THE DOON YUDHISHTERA PUBLIC SCHOOL		
☐	School Status	X	X	—
☐	School Management			
☐	School Type	X	X	—
☐	School Category	X	X	—
☑	Pre Primary Section *(1-Yes, 2-No)*	NO	1- YES	
☐	Number of Levels/Classes in Pre Primary Section		NUR LKG UKG	
☐	Class From *(Lowest class)*	I	NURSERY	
☐	Class To *(Highest class)*	X	X	—
☐	Stream *(for school having higher secondary schools)*	☐ Arts ☐ Commerce ☐ Science ☐ Vocational ☐ Others	☐ Arts ☐ Commerce ☐ Science ☐ Vocational ☐ Others	

***Attach Recognition certificate for any change in case of Private Schools**

☑ *I hereby certify that the above change request of the school, along with their essential documents. If any parameter found incorrect then, I would be responsible for future aftermath.*

(Signature) : [signature] 01/08/24

Name : RAMESH KUMAR

Designation : PRINCIPAL

(Education Officer or Equivalent)

Date 01 | Aug | 2024

Official Seal Principal The Doon Yudhishtera Public School Dehradun, Uttarakhand

Contact No : 9760690002

Common Instructions

School Status :
(0= Operational / 1. Closed / 2. Merge / 3. Sanctioned but not Operational / 4. DCF Not Received/ 5. Permanent Closed)

School Category : *Refer DCF for the particular STATE*

School Management : *Refer DCF for the particular STATE*

School Type : *(1= Boys / 2. Girls / 3. Co-educational)*

Pre Primary : *(1= Yes / 2. No)*

NOTE : (1). Private Schools require Recognition Certificate in order to do any changes.
(2). Entries are must in above tables. Put ***XXXX*** *where there is no changes required*

School Details Change Format

Form A01

State : UTTARAKHAND

UDISE+ District : DEHRADUN

UDISE+ Block : SAHASPUR

Date of request generate : 25-11-2023

File /Record No:

(For District/Block Office Use)

UDISE CODE : | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 |

School Name :

✓ Check the parameters from below grid which needs to be updated

Update Request By : ☐ **State Level** ☐ **District Level** ☑ **Block Level**

		OLD	NEW	Reason
☐	School Name *(New)*	YUDHISHTER PUBLIC SCHOOL		
☐	School Status			
☐	School Management			
☐	School Type			
☐	School Category			
☐	Pre Primary Section *(1-Yes, 2-No)*			
☑	Number of Levels/Classes in Pre Primary Section	Nur Jr. KG Sr. KG	Nur Jr. KG Sr. KG	
☑	Class From *(Lowest class)*	I	I	
☑	Class To *(Highest class)*	VIII	XII	
☑	Stream *(for school having higher secondary schools)*	☐ Arts ☐ Commerce ☐ Science ☐ Vocational ☐ Others	☐ Arts ☑ Commerce ☑ Science ☐ Vocational ☐ Others	

***Attach Recognition certificate for any change in case of Private Schools**

☑ *I hereby certify that the above change request of the school, along with their essential documents. If any parameter found incorrect then, I would be responsible for future aftermath.*

(Signature) : [signature]

Name : DR. RAMESH KUMAR PAL

Designation : PRINCIPAL

(Education Officer or Equivalent)

Date 25-11-2023

Official Seal : [seal: YUDHISHTER ... DOON ... D. DUN]

Contact No : +91-9760690002.

Common Instructions

School Status :

(0= Operational / 1. Closed / 2. Merge / 3. Sanctioned but not Operational / 4. DCF Not Received/ 5. Permanent Closed)

School Category : *Refer DCF for the particular STATE*

School Management : *Refer DCF for the particular STATE*

School Type : *(1= Boys / 2. Girls / 3. Co-educational)*

Pre Primary : *(1= Yes / 2. No)*

NOTE : (1). Private Schools require Recognition Certificate in order to do any changes.

*(2). Entries are must in above tables. Put **XXXX** where there is no changes required*

Status for Application ID - 97021 As On 26-05-2024 18:39:04

Application ID	97021
Application Date	2024-05-26 18:32:16
Applicant Details	
IUID : 72420925	**First Name of Registered User :** Rajeev Singhal
Middle Name of Registered User :	**Last Name of Registered User :**
Mobile No. of Registered User : 9458332222	**Email of Registered User :** singhalrajeev75@gmail.com
Land Line Number (with STD Code) of Registered User :	
Institution Details	
Name of School : The Doon Yudhishtera Public School	**Name of Society/Trust :** Adarsh Jan Sewa Samiti
Registration Number : UK0600312024012645	**Date of Registration:** 03/10/1988
Address of School : Munjal Estate, Ramgarh Sheeshambara , Dehradun	**District:** Dehradun
Pin Code : 248197	**Website of the Company / Organisation :**
Name of Board From Which Recognition Applied: CBSE	
Principal Details	
Principal : First Name : Ramesh	**Principal : Middle Name :**
Principal : Last Name : Kumar	**Principal : Mobile No. :** 7906635560
Principal : Email Id : rameshkpal72@gmail.com	**Principal : Address :** 85, Shivpuri Dakpathar Dehradun
Principal : Gender: Male	**Principal : Qualification :** B.Ed
Manager Details	
Manager First Name : Rajeev	**Manager Middle Name :**
Manager Last Name : Singhal	**Mobile Number of Manager :** 9458332222
Email of Manager : singhalrajeev75@gmail.com	**Manager : Address:** Turner Road, Near ISBT Dehradun
Manager : Gender: Male	
School Related Information - Brief History of School	
Location of School Village/Town Area : Munjal Estate, Ramgarh Sheeshambara Shimla By Pass	**School is Open for Admission ?:** Co-Education

Road Dehradun	
School is Open for ?: Day School	

"If School Situated in Rural / Urban Area" Please Give Details of Other Schools " Established With in 5 Km of the School."

Rural / Urban Area : Name of Schools	Rural / Urban Area : Medium of Education	Rural / Urban Area : Level - Primary / Junior / Secondary / Senior Secondary	Rural / Urban Area : Name of Authority Which Have Given Recognition

Recognized Board / Authority Details

Is School Recognized By Any Board / Authority ?: Yes	

Level of School	Board / Authority Which Has Given Recognition
Senior Secondary	CBSE

Land Details

Status of Ownership	Land and Building Details : Area of Land	Land Area: Unit	Duration of Rent/Lease (In Months)
2	4050	Sqm.	360

School Building

Details	Number	Length (In Meter)	Breadth (In Meter)
Classroom	17	10	10
Principal	01	10	10
Auditorium	01	10	10
Computer Rooms	01	20	20
Laboratory	01	30	30
Library	01	30	30
Office	01	20	20
Toilets	15	05	05
Store Room	01	10	10
Staff Rooms	02	10	10
Others	01	10	10

Lab Equipment Value (In Rs) :	**No. of Books in Library :**
Does the school have a playground: Yes	

No. of Student

Class	No. of Section	Boys	Girls	Total No. of Boys and Girls
I	1	7	7	14

Details of Teaching Staff

Name of Teaching Staff	Post of Teaching Staff (Principal,	Teaching Staff Qualification	Teacher Eligibility Test	Teaching Staff : Additional	Teaching Staff : Teaching	Teaching Staff : Additional

	Vice Principal, Headmistress etc.)			Training	Subject	Qualification
Ramesh Kumar Pal	Principal	B.Ed	Please Select	Bridge Course	Science	M.A.

Details of Non-Teaching Staff

Name of Non-Teaching Staff	Post of Non-Teaching Staff	Non-Teaching Staff Qualification
Anjali Panwar	Administrative Officer	M.A.

Other Details

Is the Management Committee Constituted as Per the Norms of the Concerning Board ?: Yes	**Is Parent Teacher Associated in School ?:** Yes
Service Rules for Employees Available ?: Yes	**EPF Plan for Employees Available:** Yes

Result of Last 3 Years

Result of Class	Result of First Year	Result % of First Year	Result of Second Year	Result % of Second Year	Result % of Third Year	Result of Third Year

Last 2 Years Financial Status

Annual Income From Fee (In INR Lakh)	Income Form Other Sources (In INR Lakh)	Annual Expenditure (In INR Lakh)	Audit Report	Year of Financial Status
14461041	100000	13567986	Yes	2024-2025

Mode of Salary Disbursement

Mode of Payment:
Through Bank Account

Name of the Bank
Punjab natinal Bank

Declaration

1. The members of society/trust are not related to each other and they have no blood relation with each other.
2. I have read all information and information given in the application is true to the best of my knowledge.
3. The employees are paid honorarium/salary as per the state government norms.
4. The society/trust is not controlled by one person or family.
5. There is no dispute regarding the land of institution and school management.
6. School is following RTE Norms.

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सहसपुर देहरादून

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दून युधिष्ठरा डे एण्ड रेजिडेन्सियल स्कूल मुन्जाल स्
रामगढ़ शीशमबाडा विकासखण्ड सहसपुर देहरादून के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक संचालि
है उक्त का कक्षा 9 से12 तक सी0बी0एस0सी0 से सम्बन्ध होने पर निकटवर्ती विद्याल
की छात्र संख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा साथ ही उत्तराखण्ड शासन
विद्यालयों को इसमें प्रभावित होने की आशंका नहीं है।

दिनांक– 19-6-17

खण्ड शिक्षा अधिकारी
सहसपुर देहरादून।

कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15–क/ 161 /नवीनीकरण/2019–20/ दिनांक 05 मई, 2019

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(मा0)/15–क/22942–47/मान्यता/2015–16 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा द दून युधिष्ठर पब्लिक स्कूल, शीशमबाड़ा, रामगढ देहरादून (मान्यता कोड 10) को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (हिन्दी माध्यम) के संचालन की अनुमति दिनांक 01.01.2019 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 02.01.2019 से आगामी 3 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और तीन वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आशारानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15–क/ 2386-93 /नवीनीकरण/2018–19 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

(आशारानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–तीन

प्रपत्र–3

कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(मा0)/15–क/22952-57/मान्यता/2015–16 दिनांक : 2-3-16

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
द दून युधिष्ठिरा पब्लिक स्कूल,
शीशमबाड़ा, रामगढ़, देहरादून।

विषय :– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन–पत्र उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय द दून युधिष्ठिरा पब्लिक स्कूल, शीशमबाड़ा, रामगढ़, देहरादून को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (एंग्लो इण्डियन अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु तीन वर्षों दिनांक 02.01.2016 से 01.01.2019 तक की अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांर अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–
   - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
   - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
   - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
   - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
   - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
   - (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
   - (सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
   - (आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–
   - विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल;
   - कुल निर्मित क्षेत्र;
   - खेल के मैदान का क्षेत्र;
   - कक्षा–कक्षों की कुल संख्या;
   - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष;
   - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय;
   - पेयजल की सुविधा;
   - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर;
   - बाधारहित पहुँच;
   - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 10 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

नोट :– विद्यालय को समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर में यू–डायस की सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होंगी और विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शैक्षिक योग्यताधारी शिक्षकों की तैनाती करनी अनिवार्य होगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0/शिविर(मा0)/15–क/ 22942-47 /मान्यता/2013–14 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

(एस0 पी0 खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner